राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 11(3)ग्रावि/नरेगा/विविध/2013 जयपुर, दिनांक 23 JUL 2014

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
(राजस्थान)।

विषय :- नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के लिए पहचान पत्र धारण करने की अनिवार्यता के संबंध में।

सन्दर्भ:- विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.06.2014 को प्रत्याहरित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला स्तर/पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पचायत स्तर पर विभिन्न संवर्ग/संविदा/सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत समस्त अधिकारी/कार्मिकों द्वारा ड्यूटी समय में परिचय-पत्र धारण करने व इसे प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है। अतः आपके जिले में कार्यरत नरेगा अधिकारियों/कार्मिकों को परिचय पत्र जारी करते हुए, इन्हें कार्यालय समय में आवश्यक रूप से धारण (प्रदर्शित) करने के निर्देश प्रदान करें।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास आईडी कार्ड नहीं है, उन्हें फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जाये। पहचान पत्र को गहरे नीले (NAVY BLUE) रंग के फीते के माध्यम से ड्यूटी समय में धारण करना अनिवार्य है।

जिला स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के परिचय पत्र अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा जारी किये जायेंगे तथा खण्ड स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के परिचय पत्र संबंधित कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे। सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को परिचय पत्र संबंधित सेवा ऐजेन्सी के द्वारा जारी किये जावेंगे। एक फोटो पहचान पत्र एवं फीते की लागत राशि रू. 20/- से अधिक न हो। यह राशि प्रशासनिक मद से वहन की जा सकेगी।

कृपया संबंधित स्तर से परिचय पत्रों का वितरण 31 जुलाई, 2014 तक कराकर, इसका अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(डॉ0 समित शर्मा)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. समस्त अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (राजस्थान)।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर एवं जोधपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
6. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
7. अधिशाषी अभियंता(वी)को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करवाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय),